लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर, भोपाल 462023

E-mail grant-dpi@mp.gov.in

क्रमांक/अनुदान/बी/01/2019-20/950 भोपाल, दिनांक 5/9/19

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :- अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के अमले को पाँचवे वेतनमान अंतर्गत शेष रही 50 प्रतिशत राशि के भुगतान हेतु बजट आवंटन।

संदर्भ :- बजट कक्ष से अनुमोदित टीप क्रमांक/बजट/1378 दिनांक 26.08.2019 द्वारा प्रदाय बजट आबंटन।

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित टीप के अनुक्रम में अनुदान प्राप्त संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों को पाँचवे वेतनमान अंतर्गत शेष रही 50 प्रतिशत राशि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट आवंटन निम्न बिन्दुओं के पालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ निम्नानुसार जारी किया जाता है :-

01 उक्त विषयान्तर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग को दिनांक 01.04.2000 से 31.12.2005 तक पाँचवे वेतनमान के अंतर्गत भुगतान हेतु शेष रही राशि 50 प्रतिशत का लाभ दिये जाने के संबंध में म0प्र0 शासन शालेय शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-37-15/2014/20-3 दिनांक 10.03.2016 का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

02 अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों को पाँचवे वेतनमान अंतर्गत शेष रही 50 प्रतिशत राशि के मान सेएरियर राशि के भुगतान के पूर्व संस्थाओं का विधिवत सत्यापन कर लिया जाए।

03 शासन के ज्ञाप दिनांक 31.01.2000 द्वारा इन अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को शुल्क वसूल करने के लिए अधिकृत किया गया था। तद्नुसार इन शिक्षण संस्थाओं द्वारा वसूल की गई राशि का समायोजन किया जाना अपेक्षित है। राशि समायोजन के फलस्वरूप कार्यरत शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक अमले से कोई राशि की वसूली नहीं की जावेगी।

04 दिनांक 01.04.2000 के उपरांत संस्थाओं द्वारा नियुक्त किये गये शैक्षणिक अमले को अनुदान मद से किसी प्रकार से कोई भुगतान नहीं किया जाए।

05 अशासकीय शालाओं में स्वीकृत अमले पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन-भत्ते इत्यादि को अनुदान के लिए संचालित पृथक-पृथक योजनाओं को एक ही योजना में समाहित किया गया है। सभी प्रकार के अशासकीय शालाओं के लिए अनुदान निर्धारित मापदण्ड अनुसार इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत/भुगतान किया जावेगा। परन्तु प्रत्येक स्वरूप की अशासकीय शाला में व्यय की गई राशि का लेखा संधारण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र पृथक-पृथक संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी इस कार्य के लिए विशेष रुप से दायित्वपूर्ण होंगे।

बजट शीर्ष 027-2202-01-102-9949-42-002 अशासकीय शालाओं को अनुदान :-

स. क्र.	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग की जा रही राशि बजट शीर्ष 027-2202-01-102-0101/0102/0103-9949-42-002	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आबंटित की गई राशि बजट उप शीर्ष		
		पांचवे वेतनमान के एरियर्स की 50 प्रतिशत शेष राशि	0101	0102	0103
1	मन्दसौर 2402003001	2,38,61,705	1,36,01,172	69,19,894	33,40,639

2	झाबुआ 1802003091		44,41,695	25,31,766	12,88,092	6,21,837
3	अशोक नगर 4702003011		1,77,63,554	1,01,25,226	51,51,431	24,86,898
4	कटनी 2002003056		25,97,622	14,80,645	7,53,310	3,63,667
5	दमोह 0802003001		2,12,96,048	1,21,38,747	61,75,854	29,81,447
6	टीकमगढ़ 4202003001		2,93,35,125	1,67,21,021	85,07,186	41,06,918
7	छतरपुर 0602003001		2,18,05,630	1,24,29,209	63,23,633	30,52,788
8	आगर मालवा		41,00,449	23,37,256	11,89,130	5,74,063
9	पन्ना 2802003001		2,86,727	1,63,434	83,151	40,142
10	ग्वालियर 1402003001		27,37,42,775	15,60,33,382	7,93,85,405	3,83,23,989
11	विदिशा 4502003001		3,36,85,562	1,92,00,770	97,68,813	47,15,979
12	सागर 3302003002		8,44,36,243	4,81,28,659	2,44,86,510	1,18,21,074
13	हरदा 1502003001		1,28,44,822	73,21,549	37,24,998	17,98,275
14	सीधी 4102003001		27,26,846	15,54,302	7,90,785	3,81,758
15	नीमच 2702003045		2,92,07,900	1,66,48,503	84,70,291	40,89,106
16	शाजापुर 3802003001		48,78,489	27,80,739	14,14,762	6,82,988
17	देवास 1002003001		1,51,16,471	86,16,388	43,83,777	21,16,306
18	बालाघाट 0102003001		88,67,012	50,54,197	25,71,433	12,41,382
19	उज्जैन 4302003046		6,64,01,064	3,78,48,606	1,92,56,309	92,96,149
20	दतिया 0902003001		1,36,73,853	77,94,096	39,65,417	19,14,339
21	शिवपुरी 3902003045		8,15,10,133	4,64,60,776	2,36,37,939	1,14,11,419
22	गुना 1302003001		1,52,76,269	87,07,473	44,30,118	21,38,678
23	बुरहानपुर 4802003012		3,97,87,442	2,26,78,842	1,15,38,358	55,70,242
24	इन्दौर 1712003001		40,44,50,665	23,05,36,879	11,72,90,693	5,66,23,093
25	रतलाम 3102003001		5,44,82,191	3,10,54,849	1,57,99,835	76,27,507
26	रीवा 3202003002		7,01,26,429	3,99,72,065	2,03,36,664	98,17,700
27	होशंगाबाद 1602003002		2,78,80,368	1,58,91,810	80,85,307	39,03,252

28	सतना 3402003110	5,10,71,749	2,91,10,897	1,48,10,807	71,50,045
29	धार 1102003002	59,80,360	34,08,805	17,34,304	8,37,250
30	भिण्ड 0402003053	7,95,49,857	4,53,43,418	2,30,69,459	1,11,36,980
31	बैतूल 0302003001	4,75,90,392	2,71,26,523	1,38,01,214	66,62,655
32	मुरैना 2502003083	41,14,35,234	23,45,18,083	11,93,16,218	5,76,00,933
33	भोपाल 0522003001	6,49,10,050	3,69,98,729	1,88,23,915	90,87,407
34	खण्डवा 2102003052	4,90,93,156	2,79,83,099	1,42,37,015	68,73,042
35	श्योपुर 4002003008	37,26,690	21,24,213	10,80,740	5,21,737
36	शहडोल 3702003001	0	0	0	0
37	सीहोर 3502003001	12,78,792	7,28,911	3,70,850	1,79,031
38	जबलपुर 1802003091	31,55,17,439	17,98,44,940	9,15,00,057	4,41,72,441
39	छिंदवाड़ा 0702003001	7,67,66,094	4,37,56,674	2,22,62,167	1,07,47,253
40	मण्डला 2302003001	41,96,340	23,91,914	12,16,939	5,87,488
41	सिवनी 3602003001	99,93,251	56,96,153	28,98,043	13,99,055
42	अनूपपुर 4602003011	0	0	0	0
43	नरसिंहपुर 2602003003	97,26,038	55,43,842	28,20,551	13,61,645
44	खरगोन 2202003035	94,12,385	53,65,059	27,29,592	13,17,734
45	अलीराजपुर 4902003001	2,93,145	1,67,093	85,012	41,040
46	बड़वानी 0202003001	0	0	0	0
47	उमरिया 4402003019	0	0	0	0
48	डिण्डोरी 1202003001	0	0	0	0
	योग =	**2,50,51,24,063**	**1,42,79,20,714**	**72,64,85,978**	**35,07,17,371**

06 आवंटित की जा रही राशि का व्यय करते समय वित्तीय नियमों का एतद् विषयक शासन/विभागीय निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। विगत वर्ष के उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को नहीं भेजे गये हों तो तत्काल महालेखाकार को भेजते हुए इस कार्यालय को भी प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं एवं इस वर्ष की राशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को राशि व्यय उपरांत भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(संजय कुमार)
संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक / अनुदान / बी / 01 / 2019–20 / 951 भोपाल, दिनांक 5/7/19

प्रतिलिपि :–

1– महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

2– सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग / शालेय शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

3– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

4– समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

5– सहायक संचालक (बजट), स्थानीय की ओर उक्त आवंटित राशि बजट सर्वर में तत्काल फीड कराये जाने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.